निगम में बीट्स ठेके के भुगतान पर गहराया विवाद

वित्तीय सलाहकार ने नहीं दिया जांच कमेटी के नोटिस का जवाब

जयपुर @ पत्रिका . नगर निगम में अस्थाई कर्मी (बीट) टेंडर को लेकर वित्तीय सलाहकार (एफए) और जांच समिति के बीच विवाद गहरा गया है। इसके चलते एफए इंद्रराज सिंह को निगम से रिलीव करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग को पत्र भेज दिया गया। इसके बावजूद एफए ने जांच समिति की ओर से मांगी गई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई। समिति ने बीट टेंडर के भुगतान के आपत्ति जताने पर एफए से 13 बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। एफए ने एक सप्ताह बाद भी यह जानकारी नहीं दी।

जेएमसी में बीट ठेकेदार कंपनी मैसर्स प्रहरी प्रोटेक्शन सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के जनवरी 2015 के बिल के भुगतान पर आपत्ति लगा दी थी। इसके भुगतान की महापौर और निगम आयुक्त स्वीकृति दे चुके थे। निगम कार्यकारिणी समिति (ईसी) की 23 जुलाई को हुई बैठक में वित्त समिति की अध्यक्ष राखी राठौड़ ने यह मामला उठाया, जिस पर काफी हंगामा हुआ। राठौड़ और अन्य पार्षदों ने इस बात पर नाराजगी जताई की कि जिस भुगतान के लिए महापौर और आयुक्त के आदेश हो गए हैं, उस पर एफए ने क्यों आपत्ति लगाई? जबकि फाइल उनके यहां से महापौर और आयुक्त तक पहुंची। इस दौरान उन्होंने इस पर आपत्ति क्यों नहीं की। ईसी ने इस मामले की जांच के लिए उप महापौर मनोज भारद्वाज की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित कर दी। कमेटी में वित्त समिति की अध्यक्ष राखी राठौड़ और स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा को सदस्य बनाया गया।

जांच कमेटी पर ही उठा दिए सवाल

जांच कमेटी ने 4 अगस्त को बैठक कर मामले की जांच के लिए एफए से 13 बिंदुओं पर जानकारी मांग ली। कमेटी ने एफए से पूछा कि भुगतान की स्वीकृति सक्षम स्तर पर होने के बाद उन्होंने किन नियमों के तहत इस पर आपत्ति की? भुगतान स्वीकृति के लिए फाइल महापौर और आयुक्त को पेश करने से पूर्व क्या एफए को कंपनी के ईएसई, सर्विस टैक्स, पीएफ एवं अन्य कोई कर के बकाया होने की जानकारी थी? समिति के ऐसे 13 बिंदुओं पर एफए ने जवाब नहीं दिया। उलटे कमेटी पर सवाल उठा दिए कि वह किन नियमों के तहत इस मामले की जांच कर रही है।

फाइल के मूवमेंट पर भी आपत्ति

कमेटी ने अपने नोटिस में फाइल के मूवमेंट को लेकर आपत्ति व्यक्त की। कमेटी ने एफए से पूछा कि पेमेंट की स्वीकृति होने के बाद बिल बनाकर अकाउंटेंट को फाइल भेजी गई। अकाउंटेंट ने इसे सहायक लेखाकार को मार्क किया। वहां से फाइल उपायुक्त (मुख्यालय) के पास भेजी जानी थी, लेकिन इसे काट कर फाइल सीधे एफए को मार्क की गई। ऐसा क्यों किया गया?

पत्रिका Mon, 10 August 2015
epaper.patrika.com/c/6158677